11.09.19	पत्रावली वास्ते निर्णय आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित । वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने मान0 न्यायालय के समक्ष भूमि ख0नं0 904,905,941,892 ग्राम शेरपुरा प0ह0श्यामपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है,के बाबत एक वाद व आ0पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत किया गया,जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.15 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रार्थी के हिस्से तक भूमियों की मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया तथा नायब तहसीलदार से मौका रिपोर्ट भूमि ख0नं0 892 गै0मु0 रास्ता के संबंध में चाही गई थी। मान0 जिला कलक्टर महोदय को 04.09.15 को प्रार्थी द्वारा स्टे आदेश की पालना के लिए आवेदन करने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़ को स्वंय की उपस्थिति में स्टे आदेश की पालना रिपोर्ट दिनांक 15.09.15 तक पेश करने के आदेश दिये। परन्तु आज दिनांक पालना नहीं कराई गई है। अप्रार्थी सं0 4 नायब तहसीलदार अप्रार्थी सं0 1 ता 3 से मिलकर प्रार्थी व उसके पुत्र मदन के साथ मारपीट की गई,जिसकी एफआईआर सं0 283/15 है। अप्रार्थी सं0 3 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ में दावा सं0 194/15 नक्शा रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 20.11.15 को पेश किया,जिसमें प्रार्थी को न तो कोई पक्षकार बनाया गया तथा ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ न्यायालय द्वारा 09.07.16 को गि0ह0 की रिपोर्ट को आधार मानकर नक्शा दुरूस्ती का आदेश कर दिया। उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़ ने तहसीलदार व प0ह0 से साज करके उपरोक्त निर्णय 09.07.16 को अंजाम दिया है। उक्त निर्णय की आड़ में प0ह0 सुजावास द्वारा बिना किसी जमाबंदी में नोट के प्रार्थी की भूमि में पूर्व में बढ़कर के ख0नं0 892 की सीमाओं को बढ़ाकर प्रार्थी की सीमाओं में लाल स्याही से बिना किसी नामान्तरकरण के लाल रेखाएं अंकित कर दी गई है ख0नं0 892 जो रास्ता था। प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि ख0नं0 892 गै0मु0 रास्ता को बढ़ाकर प्रार्थी की भूमियों में जाकर ख0नं0 904,905,941 में नवीन लाल रेखाओं का अंकन नक्शे में दुरूस्ती की जाकर दावा दायरी के दिन की स्थिति रेस्टोर की जाकर अप्रार्थीगण को प्रतिबंधित किया जावे कि वे प्रार्थी की नींव–सींव के साथ छेडछाड न करें। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब करने पर अप्रार्थी सं0 1 ता 3 जरिये वकील उपस्थित आए तथा जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि मद सं0 1 व 2 गलत होने से अस्वीकार है। मद सं0 3 कानूनी है। विशेष कथन में अंकित किया कि आवेदक ने ख0नं0 892 के नक्शा बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़ द्वारा किया गया दुरूस्ती आदेश को 151 सीपीसी के तहत माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष सहायक कलक्टर (म.) सीकर	

Scanned by CamScanner

चुनौती दी है,जबकि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उसके समकक्ष न्यायालय में धारा 151 सीपीसी के तहत चुनौती देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। यदि उक्त निर्णय से आवेदक को कोई ग्रिवेन्स है तो वह सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है,फिर भी कानूनी प्रावधानों के विपरीत आवेदक ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत करके न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग किया है इसलिए आवेदन को विशेष हर्जा सहित खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

वकील उभय पक्ष की बहस आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों एंव जवाब आवेदन को ही दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एंव आवेदन पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ़ द्वारा दिनांक 09.07.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प खाटू में वाद सं0 194/2015 बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम राज्य सरकार में वाद बाबत नक्शा व रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ में आदेश पारित किया गया है। चूंकि यदि प्रार्थी न्यायालय हाजा के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसे उक्त आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को उसके समकक्ष न्यायालय में धारा 151 सीपीसी के तहत चुनौती देने का को कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी खारिज होने योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर
निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर

Scanned by CamScanner